

न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ओ.पी.बिश्नोई, आर.ए.एस.

अपील संख्या 75/2022 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2022/79)



1. सुन्दर पत्नी दुनीराम जाति जाट निवासीगण गुसाईयाना तहसील व जिला सिरसा (हरियाणा)
2. भरतसिंह
3. जगदीश
4. सीताराम
5. शिलोचना पुत्री दुनीराम पत्नी प्रहलाद सिंह जाति जाट निवासी शेखपुर दड़ौली तहसील भट्टूकला जिला फतेहाबाद
6. सावित्री पुत्री दुनीराम पत्नी भीमसिंह जाति जाट निवासी शेखपुर दड़ौली तहसील भट्टूकला जिला फतेहाबाद
7. कमलेश पुत्री दुनीराम पत्नी पृथ्वीसिंह जाति जाट निवासी अरणीयावाली तहसील व जिला सिरसा
8. समेशता पुत्री दुनीराम पत्नी विनोद कुमार जाति जाट निवासी अरणीयावाली तहसील व जिला सिरसा

अपीलान्ट्स

बनाम

1. मु. कलोदेवी उर्फ कलावती बेवा ताराचन्द जाति जाट निवासी गुसाईयाना तहसील व जिला सिरसा
2. वेदप्रकाश पुत्र ताराचन्द जाति जाट निवासी गुसाईयाना त. व जिला सिरसा
3. महेन्द्र सिंह
4. राजेन्द्र उर्फ राजकुमार
5. ग्राम पंचायत नेठराना बजरिये सरपंच ग्राम पंचायत नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ
6. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, नेठराना

रेस्पोडेंट्स

- उपस्थित:
1. श्री नरेन्द्र गौड़ — अभिभाषक अपीलान्ट्स
 2. श्री विजय कुमार पारीक — अभिभाषक रेस्पोडेंट्स
सं. 1 ता 4
 3. श्री मोहम्मद इम्तियाज अली — राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक: 16.01.2024

1. यह अपील भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ के मि0 नं0 13/2017 निर्णय दिनांक 04.11.2022 के विरुद्ध पेश हुई है।



2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भादरा में चक 3 एनटीआर, ग्राम पंचायत नेठराना इंतकाल सं. 227 दिनांक 08.01.1996 के विरुद्ध अपील प्रस्तुत कर उक्त इंतकाल को अपास्त करने का निवेदन किया। जिस पर उपखण्ड अधिकारी भादरा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 04.11.2022 द्वारा अपील मियाद अवधि से बाहर होने एवं कानून की दृष्टि से बलहीन मानकर अपील खारिज कर दी। उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 04.11.2022 व नामान्तरकरण सं. 227 दिनांक 08.01.1996 को निरस्त करने का निवेदन किया गया।
3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोजेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। रेस्पोजेन्ट सं. 5 एवं 6 निमित्त साधारण नोटिस/रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। रेस्पोजेन्ट सं. 6 की ओर से श्री महेश कुमार बाना एडवोकेट दिनांक 24.07.2023 को उपस्थित हुवे, वकालतनामा प्रस्तुत नहीं किया ना ही बहस के दौरान उपस्थित हुवे। इनके विरुद्ध एक तरफा (Ex party) कार्यवाही अमल में लाई गई।
4. अपीलांत के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए बहस के दौरान कहा कि चक 3 एन टी आर में 30.08 बीधा व चक 1 बी आर डब्ल्यू में 13.16 बीधा भूमि रामजी व गणपत पिसरान लेखू की आवटन शुद्धा कृषि भूमि बहिस्सा बराबर दर्ज रिकार्ड चली आ रही थी। गणपत अविवाहित था उसने अपने जीवनकाल मे अपनी उपरोक्त 1/2 हिस्से की भूमि की रजिस्टर्ड वसीयत अपने सगे भतीजे दुनीराम पुत्र रामजी के नाम लिखकर रूबरू गवाहान दिनांक 07.02.1966 को सब रजिस्ट्रार सिरसा के यहा रजिस्टर्ड करवा दी थी। गणपत के स्वर्गवास पश्चात उक्त भूमि के समस्त अधिकार दुनीराम को प्राप्त हो चुके थे। परन्तु इसके बावजूद भी नामान्तरकरण सं. 49 दिनांक 22.03.78 दुनीराम के नाम दर्ज करने के बजाय एकतरफा तौर पर रामजी पुत्र लेखू के नाम से दर्ज कर दिया तथा नामान्तरकरण सं. 50 दिनांक 22.03.78 द्वारा उपरोक्त भूमि रामजी के स्वर्गवास के आधार पर केवल मात्र श्योनन्द व ताराचन्द के नाम से दर्ज कर दिया गया। इस प्रकार



उपरोक्त नामान्तरण अवैध एवं शुरु से ही प्रभावशून्य होने के कारण उसका कानून की नजर में कोई अहमियत नहीं है तथा इन आधारहीन नामान्तरण के पश्चात दर्ज किये गये नामान्तरण सं. 227 दिनांक 08.01.1996 का भी कोई विधिक महत्व नहीं होने के कारण काबिले निरस्तनीय है। अपीलान्ट्स द्वारा उक्त नामान्तरण की प्रथम अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 04.11.2022 के द्वारा उपरोक्त अपील में निहित महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दुओं पर सुनवाई किये बगैर केवल मात्र मियाद के तकनीकी बिन्दु पर ही खारिज कर दिया। जबकि उच्चतर न्यायालयों द्वारा अपने अनेक न्यायिक निर्णयों के द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित है कि तकनीकी आधारों पर किसी व्यक्ति को न्याय से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। मियाद के बिन्दु पर निर्णय करने से पूर्व भी प्रकरण के गुणावगुण पर आवश्यक रूप से मनन करना चाहिए। जहाँ मामला मेरिट पर मजबूत होता है वहाँ अपील में मियाद का बिन्दु गौण होता है। अपीलान्ट वर्ष 2016 में दुनीराम के स्वर्गवास के पश्चात वाद में पक्षकार बने हैं एवं वर्ष 2017 में अपील पेश कर दी तो ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बार-बार 40 वर्ष किस आधार पर विलम्ब का उल्लेख करना सरासर गलत एवं रिकार्ड के विपरीत होने से काबिले निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय केवल मात्र मियाद के बिन्दु पर किया गया है मेरिट पर किसी प्रकार की सुनवाई व विचार ही नहीं किया गया है तो फिर समरी ट्रायल से अपील के बलहीन होने के कथन निर्णय में कहा से उत्पन्न हो गये। ऐसी स्थिति से बिना सुनवाई के काल्पनिक एवं मनगढ़त आधार पर पारित निर्णय हर प्रकार से काबिले निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 04.11.2022 व नामान्तरण सं. 227 दिनांक 08.01.1996 निरस्त किया जावे। अपीलान्ट्स के विद्वान अभिभाषक ने अपने पक्ष के समर्थन में RRD 1994 पृष्ठ 505, RRT 2016 (2) पृष्ठ 971, RRT 2017 (2) पृष्ठ 1105, RRT 2020 (2) पृष्ठ 791, CIVIL COURT CASES 2018 पृष्ठ 631, RRT 2017 (2) पृष्ठ

1047, LIVE LAW (SC) 307 IN THE SUPREME COURT OF INDIA, का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

5. रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 ता 4 विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि अपीलान्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय में सभी अलग-अलग आदेश की, एक साथ एक ही तारीख पर वर्ष 2017 में अपील पेश की जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मियाद के बिन्दु पर खारिज कर दिया। उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलान्ट्स ने इस न्यायालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत की है। अलग-अलग इन्तकाल है, जिसमें 40 वर्ष हो गये हैं। उक्त वाद भूमि का नामान्तरण ग्राम पंचायत नेठराना में जांच के बाद तस्दीक हुआ है। अपीलान्ट को दुनीराम की मृत्यु के बाद लगभग 40 वर्ष के बाद तथाकथित फर्जी वसीयत के आधार पर अपील पेश करने के किसी प्रकार से कानूनी अधिकार नहीं है, क्योंकि उक्त भूमि गैर खातेदारी की भूमि थी जिसकी वसीयत नहीं हो सकती है। गैर खातेदारी की वसीयत शुरू से शून्य होती है जिसका इन्तकाल नहीं हो सकता है। वर्ष 1993 में दूनीराम द्वारा एक दावा पेश किया गया जिसमें श्योचन्द व ताराचन्द पक्षकार हैं। इस प्रकार अपीलान्ट्स को वर्ष 1993 में ही उक्त इन्तकाल तस्दीक होने की जानकारी प्राप्त हो गई थी। उसके बाद एक संशोधित दावा वर्ष 2001 में पेश हुआ जिसमें परिवार के सभी लोगो को जानकारी प्राप्त हो गई थी और वो दावा आज भी जैरकार है। उसके बाद दुनीराम की मृत्यु वर्ष 2016 में होती है, मृत्यु के बाद वर्ष 2017 में 1 साल 7 महीने बाद अपील पेश की गई है। अपीलान्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय के संमक्ष अपील के साथ दफा -5 का प्रार्थना पत्र पेश किया वो झूठा था। क्योंकि अपीलान्ट्स को जानकारी पहले वर्ष 1993, 2001 फिर 2016 में हो गई थी। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील को मियाद के बिन्दु पर सही खारिज किया गया है। साथ ही जिस भूमि बात अपील जैरकार है इसी भूमि बाबत व इन्ही पक्षकारान के बीच सिविल न्यायालय में वाद जैरकार है तथा सिविल न्यायालय का स्थगन आदेश है। जो कुछ भी तैय होगा व दावा में तैय हो जायेगा। अतः अपीलान्ट की अपील दाखिल दफ्तर की जावे या खारिज की जावे। रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 ता 4 के विद्वान अभिभाषक ने





अपने पक्ष के समर्थन में RRD 2010 पृष्ठ 392, RRD 2002 पृष्ठ 12, RRD 2006 पृष्ठ 366, RRD 1986 पृष्ठ 22, RRD 1981 पृष्ठ 87, RRD 1994 पृष्ठ 276, RRD 2007 पृष्ठ 311, RRD 2000 पृष्ठ 557, RRD 1994 पृष्ठ 23, RRD 2010 पृष्ठ 525, RRD 2016 पृष्ठ 777, RRD 2012 पृष्ठ 104, RRD 1999 पृष्ठ 99, RRD 2011 पृष्ठ 786, RRD 2010 पृष्ठ 527, RRD 2003 पृष्ठ 244, RRD 2011 पृष्ठ 386, का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

6. राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय सही है अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।
7. हमने विद्वान अभिभाषकगणों की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ विश्लेषण किया। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ के मि.नं. 13/2017, के निर्णय दिनांक 04.11.2022 व चक 3 एनटीआर ग्राम पंचायत नेठराना के द्वारा स्वीकृत इंतकाल संख्या 227 दिनांक 08.01.1996 से व्यथित होकर उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.11.2022 व इंतकाल संख्या 227 दिनांक 08.01.1996 को निरस्त करने का अर्ज किया गया है। अपीलान्ट द्वारा इंतकाल संख्या 227 दिनांक 08.01.1996 के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भादरा में दिनांक 27.09.2017 को अपील प्रस्तुत की गई, तथा विलम्ब से प्रस्तुत अपील की अवधि को कण्डोन करने का संतोषजनक, कारण प्रस्तुत नहीं किये जाने के फलस्वरूप अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मियांद के बिन्दु पर अपील को खारिज किया गया है। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत धारा -5 के प्रार्थना पत्र में केवल यह अंकित किया है कि अपीलान्ट्स के पिता दुनीराम भोला अनपढ व्यक्ति थे, प्रकरण की जानकारी उनके पिता की मृत्यु दिनांक 07.02.2016 को हो जाने के बाद हुई। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 में ठोस आधारों एवं औचित्यपूर्ण कारणों का अभाव रहा। अपीलान्ट द्वारा मियाद बाहर प्रस्तुत अपील में केवल धारा 5 के प्रार्थना पत्र में

यह कहना युक्तियुक्त एवं सन्तोषप्रद कथन नहीं है कि उन्हे उक्त इंतकाल की जानकारी नहीं थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी म्याद बिन्दु के संबध में प्रतिपादित किया है कि :

IN THE SUPREME COURT OF INDIA, CIVIL APPELLATE JURISDICTION, CIVIL APPEAL NOS. 6414-6417 OF 2008 (Arising out of SLP(c) Nos.201011-21014 of 2007) Pundlik Jalam Patil (D) by Lrs. Versus Exe.Eng.Jalgaon Medium Project & Anr.

"For the aforesaid reasons, we hold that the high court gravely erred and exercised its discretion to condone the inordinate delay of 1724 days though no sufficient cause has been shown by the applicants. It is for that reason, we interfere with the decision of the high court and set aside the same. The appeals are accordingly allowed without any orders as to costs."

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.11.2022 में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होने के कारण उसमें हस्तक्षेप की गुजाईश प्रतीत नहीं होती है। अतः अपील अपीलान्त खारिज की जाती है। तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 16.01.2024 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ.पी.बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
बीकानेर